डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 जून, 2022, डिस्पेच दिनांक 16 जून, 2022

| वर्ष 66 | अंक 02 | भोपाल | 16 जून, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सहकारी बैंकों संबंधी RBI के निर्णय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले : अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नीतिगत कदमों का स्वागत किया है और कहा है कि इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और सहाकारी बैंकों के लिए भी कारोबार के अवसर बढ़ेंगे। सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक शाह ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए आरबीआई द्वारा लिए गए तीन नीतिगत निर्णयों 'अति महत्वपूर्ण' बताया है।

आरबीआई ने सहकारी बैंकों की ओर से दी जा सकने वाली व्यक्तिगत आवास कर्ज की सीमा बढ़ा दी है और उन्हें सस्ते मकान की परियोजनाओं के विकास के लिए ऋण सहायता देने की छूट देने के साथ ही घर-घर जा कर लोगों को उनकी बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल से भी कम समय में सहकारिता क्षेत्र के लिए कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनकी लंबे समय से जरूरत थी

इसके लिए उन्होंने पूरे सहकारिता क्षेत्र के लिए उनका आभार जताया। अमित शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में देश के किसानों, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और सशक्तिकरण की अपार संभावनाएं हैं, इसीलिए मोदी सरकार सहकारी क्षेत्र को सशक्त कर रही है। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा को दोगुना कर दिया गया है। इस के तहत टियर 1 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा अब 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये, टियर 2 यूसीबी के लिए 70 लाख रुपये से 1.40 करोड़ रुपये और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के लिए इस सीमा को क्रमश: 20 लाख और 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख और 75 लाख रुपये कर दिया गया है।

आरबीआई ने आरसीबी को वाणिज्यिक रियल एस्टेट आवासीय आवास क्षेत्र को उधार देने की अनुमति दी गई है। बयान में कहा गया है कि इससे ग्रामीण सहकारी बैंकों का दायरा बढ़ेगा और किफायती घर उपलब्ध कराने के संकल्प को भी गति मिलेगी। आरबीआई के निर्णय के अनुसार अब शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को कमर्शियल बैंकों की तरह डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा

मुहैया कराने की इजाजत दे दी गई है। इस निर्णय से सहकारी बैंकों को अब प्रतिस्पर्धी बैंकिंग क्षेत्र में समान अवसर मिलेगा और वे अन्य बैंकों की तरह ग्राहकों को घर-घर जाकर बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान कर सकेंगे। सहाकारिता मंत्रालय का मानना है कि इससे सहकारी बैंकों के माध्यम से आवास क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन में वृद्धि होगी, जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से की भेंट

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री श्री शाह को प्रदेश की सहकारिता नीति जारी करने का दिया निमंत्रण

प्रदेश के नक्सल विरोधी अभियान में सहयोग का किया अनुरोध

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से भेंट कर राज्य की सहकारिता नीति और नक्सल विरोधी अभियानों के संबंध में विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में नीति एवं योजना आयोग, सहकारिता एवं अन्य विशेषज्ञों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद सहकारिता नीति तैयार की गई है। नीति के जरिये अलग-अलग क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से नवीन क्षेत्रों में रोजगार सृजन, लोगों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहकारिता नीति का प्रारूप श्री अमित शाह को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रभावशील स्थानीय निकायों के चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही इस नीति को विधिवत लागू किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री शाह को भोपाल में आयोजित होने वाले सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने और राज्य की सहकारिता नीति जारी करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री श्री शाह को मध्यप्रदेश के तीन जिलों बालाघाट, मण्डला और डिण्डोरी में हॉकफोर्स के नक्सल विरोधी अभियानों में प्राप्त सफलताओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य के नक्सल विरोधी अभियान को अधिक गति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों की चार अतिरिक्त बटालियन की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बालाघाट और मण्डला जिलों के थानों और पुलिस चौकियों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।

खरीफ के लिए बीते वर्ष से 8.7667 लाख क्विंटल ज्यादा बीज उपलब्ध

भोपाल : प्रदेश में खरीफ 2022 के लिए धान, मक्का, ज्वार, बाजारा, कोदो-कुटकी, उड़द, मूंग, तुअर, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल और कपास की कुल 25.9011 लाख क्विंटल बीज की व्यवस्था की गई है। गत वर्ष 17.1344 लाख क्विंटल बीज की व्यवस्था की गई थी। इस तरह गत वर्ष से खरीफ के लिए 8.7667 लाख क्विंटल अधिक मात्रा में बीज की उपलब्धता है।

यह जानकारी मंत्रालय में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में उपार्जित मूंग तथा उड़द के उपयोग के संबंध में भी जानकारी ली। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी गुप्ता और मार्कफेड के एमडी श्री पी. नरहरि उपस्थित थे।

प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता और उसके प्रदाय के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। बैठक में बताया

गया कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। यूरिया, डी.ए.पी., एन.पी.के., एस.एस.पी. और एम.ओ.पी. की एक अप्रैल 2022 से अब तक विक्रय और भंडारण की जानकारी दी गई। प्रदेश के सभी 52 जिलों में पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा भंडारण हुआ है। डी.ए.पी. बिक्री की पिछले वर्ष से तुलना करें तो प्रदेश के 49 जिलों में ज्यादा भंडारण व्यवस्था हुई है। इसी तरह एन.पी.के. की बिक्री भी बीते वर्ष से अधिक हुई है। एस.एस.पी. और यूरिया का भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा मात्रा में भंडारण किया गया है।

निर्बाध आपूर्ति और सब्सिडी

बताया गया कि प्रदेश में खाद और उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने से खरीददारों को लाइन लगाकर खरीदारी करने और ब्लेक में खरीदने जैसी समस्याओं से मुक्ति मिली है। किसानों को सब्सिडी से सीधे राहत देने की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में भी जरूरी सब्सिडी के साथ उर्वरक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

मूंग और उड़द उपार्जन

प्रदेश में वर्ष 2022-23 में 4 लाख 03 हजार मेट्रिक टन मूंग और 27 हजार मीट्रिक टन उड़द के प्रस्तावित उपार्जन से संबंधित प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था। केन्द्र सरकार ने मूंग के लिए 2 लाख 25 हजार 525 मीट्रिक टन और उड़द के लिए 21 हजार 400 मीट्रिक का उपार्जन लक्ष्य दिया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में वर्ष 2021-22 में उपार्जित मूंग और उड़द के संबंध में भी जानकारी ली। प्रदेश में पिछले वर्ष 4 लाख 39 हजार 563 महट्रिक टन मूंग की खरीदी 301 केन्द्रों से की गई। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के लक्ष्य से तीन गुना अधिक खरीदी की। कुल एक लाख 85 हजार किसानों से मूंग की खरीद की गई। अधिक उपार्जित मूंग के व्यवस्थित निस्तारण के प्रयास किए गए हैं। उपलब्ध 01 लाख 92 हजार 313 मीट्रिक टन मूंग में से 78 हजार 511 मीट्रिक टन मात्रा मध्यान्ह भोजन के लिए उचित मूल्य दुकानों से वितरण योग्य है। साथ ही ई-नीलामी से 1320 मीट्रिक टन मूंग की बिक्री की योजना बनाई गई। शेष मात्रा के वितरण की योजना भी तैयार है। विद्यार्थियों के लिए 428 करोड़ 82 लाख रूपए की मूल्य की 50 हजार 115 मीट्रिक टन मूंग वितरण का कार्य किया गया। इसमें विपणन संघ द्वारा प्रदाय मात्रा 71 हजार 326 मीट्रिक टन है, जिसका मूल्य 610 करोड़ 32 लाख है।

गुणवत्ता नियंत्रण में तकनीक का उपयोग

बताया गया कि कीटनाशक गुणवत्ता नियंत्रण में मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। कीटनाशकों के नमूना लेने से विश्लेषण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। इसके लिए केन्द्रीयकृत ऑनलाइन नमूना ट्रेकिंग एवं निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। निरीक्षकों द्वारा लिए गए नमूनों का रेंडम पद्धति से प्रयोगशाला का चयन कर विश्लेषण की प्रक्रिया फेसलेस, क्यू. आर. तकनीक से की जा रही है। विश्लेषण परिणाम भी तत्काल सभी संबंधितों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के आठ जिलों को मिला खाद्य सुरक्षा पहल के लिए ईट-राइट चैलेंज पुरस्कार इंदौर ने प्राप्त किया सर्वोच्च स्थान

प्रदेश की चार स्मार्ट सिटी को मिला ईट-स्मार्ट सिटीज चेलेंज में शीर्ष 11 स्मार्ट सिटी में स्थान

भोपाल। मध्यप्रदेश के 8 जिलों-इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और सतना को एफडीए भवन में कार्यक्रम में ईट-राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स के तहत खाद्य सुरक्षा को लेकर सकारात्मक परिर्वतन के लिये सम्मानित किया गया। साथ ही मध्यप्रदेश की 4 स्मार्ट सिटी-इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन को ईट-स्मार्ट सिटीज चेलेंज में शीर्ष 11 स्मार्ट सिटी में स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा पुरस्कार वितरित किये गये। स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरूण सिंघल भी उपस्थित थे।

ईट-राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड

डिस्ट्रिक्ट्स के तहत खाद्य सुरक्षा की पहलों को अपनाने, नियम और परिवर्तन को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता देने के उद्देश्य से देश के 75 शहरों और जिलों को विजेता चुना गया है। इस स्पर्धा में देश के 188 शहरों ने अपना पंजीकरण किया था, जिनमें से सर्वोच्च अंकों के साथ इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर ने क्रमशः 3, 5 और 7वाँ स्थान प्राप्त किया है। ग्वालियर को 12वाँ, रीवा को 17वाँ, सागर को 23वाँ और सतना को 74वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। पुरस्कार खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े द्वारा ग्रहण किये गये।

ईट-स्मार्ट सिटीज चेलेंज के तहत घरेलू स्तर पर रिसाइक्लिंग और अतिशेष भोजन दान करने की नीति के लिये इंदौर स्मार्ट सिटी को पुरस्कृत किया गया, जिसका पुरस्कार अतिरिक्त कलेक्टर श्री अभय बेडेकर ने ग्रहण किया। जबलपुर स्मार्ट सिटी को बच्चों में मोटापे की समस्या से निपटने के लिये कार्टून किरदारों द्वारा व्यवहार परिवर्तन को लेकर शुरू की गई पहल के लिये सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री निधि सिंह राजपूत ने ग्रहण किया। सागर स्मार्ट सिटी द्वारा बच्चों को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण देने के लिये विडियो गेम और युवा पोषण एम्बेसेडर तैयार करने के लिये पुरस्कृत किया गया। सागर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राहुल सिंह राजपूत ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। हाइड्रोपोनिक्स को बढ़ावा देने के लिये उज्जैन स्मार्ट सिटी को पुरस्कृत किया गया, जिसका पुरस्कार उज्जैन स्मार्ट सिटी के कार्यकारी निदेशक श्री अंशुल गुप्ता द्वारा ग्रहण किया गया।

उद्यानिकी के महत्व को समझें

खेती को लाभकारी बनाने के लिये मिश्रित खेती का अपना अलग महत्व है। मिश्रित खेती के विभिन्न घटकों में खेती के साथ-साथ बागवानी करके आय बढ़ाना सरल उपाय है। बगीचा लगाने से उसकी देखभाल अधिक महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिये। फल बगीचों की देखरेख करने का समय वर्तमान में चल रहा है। फल प्रकृति की अनमोल भेंट है जो समाज के धार्मिक कार्य में सदियों से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई भी संस्कार नहीं हो सकता है जिसमें फलों की आवश्यकता न हो इसके अलावा इसके स्वास्थवर्धक गुणों से सभी परिचित हैं। पूर्वजों के द्वारा निर्मित फल बगीचे धरोहर की तरह आज भी हमारी सम्पत्ति है। हमारी कृषि में उद्यानिकी का महत्वपूर्ण स्थान सदैव रहा है और भविष्य में भी रहने वाला है। भारतीय कृषि की प्रधानता को देखते हुए अंग्रेजों के जमाने में सन् 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। शनै:-शनै: कृषि में प्रगति हुई पर उसके साथ-साथ उद्यानिकी की ओर भी ध्यान गया और फलों के विकास, विस्तार के लिये भी कार्य प्रस्तावित किये गये और कार्य शुरू किये गये सबसे पहले उत्तरप्रदेश में फल अनुसंधान केन्द्र सराहनपुर में तथा चोबटिया में खोले गये और विभिन्न

प्रकार के फलों का विकास कार्य किया गया।

उद्यानिकी के महत्व को समझकर सोलन (हिमाचल प्रदेश) में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसी कड़ी में प्रदेश स्तर तक भी उद्यानिकी विद्यालय की स्थापना की गई। उल्लेखनीय है कि देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में केले और आम फलों की खेती की जाती है। मिश्रित खेती का सबसे बड़ा हिस्सा उद्यानिकी के साथ ही जाता है। आज कृषकों में फलोत्पादन की ललक इतनी बढ़ गई है कि जो फल क्षेत्र विशेष में पैदा किये जाते थे वे अब सीमा तोडक़र अन्य क्षेत्रों में भी सफलता से लगाये जा रहे हैं, उदाहरण के लिये केला अब दक्षिण-पश्चिम प्रदेशों की सीमा से निकलकर मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में भी सफलता से लगाया जाने लगा है। अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र में क्रांति ला दी है। नासिक के क्षेत्रों के कृषक की आय आज बढक़र कई गुना हो गई है। अंगूर के बाद बेर का विकास भी बड़ी तत्परता से किया गया। हमारे प्रदेश में भी मालवा क्षेत्र में अंगूर की खेती बड़ी सफलता से की जाकर आर्थिक उन्नति की ओर कृषक बढ़ रहे हैं। हमारे प्रदेश की मुख्य उद्यानिकी फसल आम थी, जिनका विकास कार्य उद्यानिकी विशेषज्ञों के द्वारा किया गया। जिनके अथक प्रयास से आम के वृक्षों में बडिंग/ग्राफ्टिंग करके पुराने पेड़ों का विकास किया गया।

वर्तमान में आम की जो प्रजातियां उपलब्ध हैं उनको लाने उनके विस्तार में उनका योगदान सराहनीय एवं स्मरणीय भी रहेगा। फल वृक्षों के वार्षिक रखरखाव पर जोर दिया जाना आज की प्राथमिकता हो। कटाई, छंटाई, बोर्डोपेस्ट का लेप तनों पर लगाना तथा उम्र के अनुरूप उन पेड़ों को खाद और उर्वरकों को दिया जाना भी आज का ही कार्य हो। आज ज्ञान का प्रकाश फैल चुका है। सभी जानते हैं कि पौधों की सक्रिय जड़ कहां है और वहीं पर खाद-पानी देकर पौधों को मजबूत बनाया जा सकता है। शासन के द्वारा बगीचा लगाने के लिये ओर से छोर तक की मदद खुले हाथों से देने का प्रावधान है। कहावत है जिन ढूंढा तिन पाईये अर्थात् जिन्होंने खोजा उन्हें मिल गया जो बैठे रहे तो उन्हें क्या मिल सकता है। अतएव कृषि में उद्यानिकी के महत्व को समझें, करें और समझायें।

अब सहकारी समितियां भी कर सकेंगी जीईएम पोर्टल से किफायती खरीदारी, कैबिनेट कमेटी ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। अब देश की 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियां भी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल से खरीदारी कर सकेंगी। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी। अभी यह तय होना है कि समितियां कब से खरीदारी शुरू करेंगी। इससे सहकारी समितियों में होने वाली खरीदारी में पारदर्शिता आएगी और जीईएम पोर्टल पर सामान और सेवा की बिक्री करने वाले उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा। सहकारी समितियां अपने सदस्यों के लिए खरीदारी का काम करती हैं और 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियों के 27 करोड़ सदस्य हैं।

ऐसे में सरकार के इस फैसले से इन सभी 27 करोड़ सदस्यों को फायदा मिलेगा। जीईएम पोर्टल पर कौन सी वस्तु किस दाम पर खरीदी गई, इसकी जानकारी सभी को मिल सकती है। वहीं बड़ी संख्या में खरीदारी होने से विक्रेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे खरीद कीमत कम हो जाएगी।

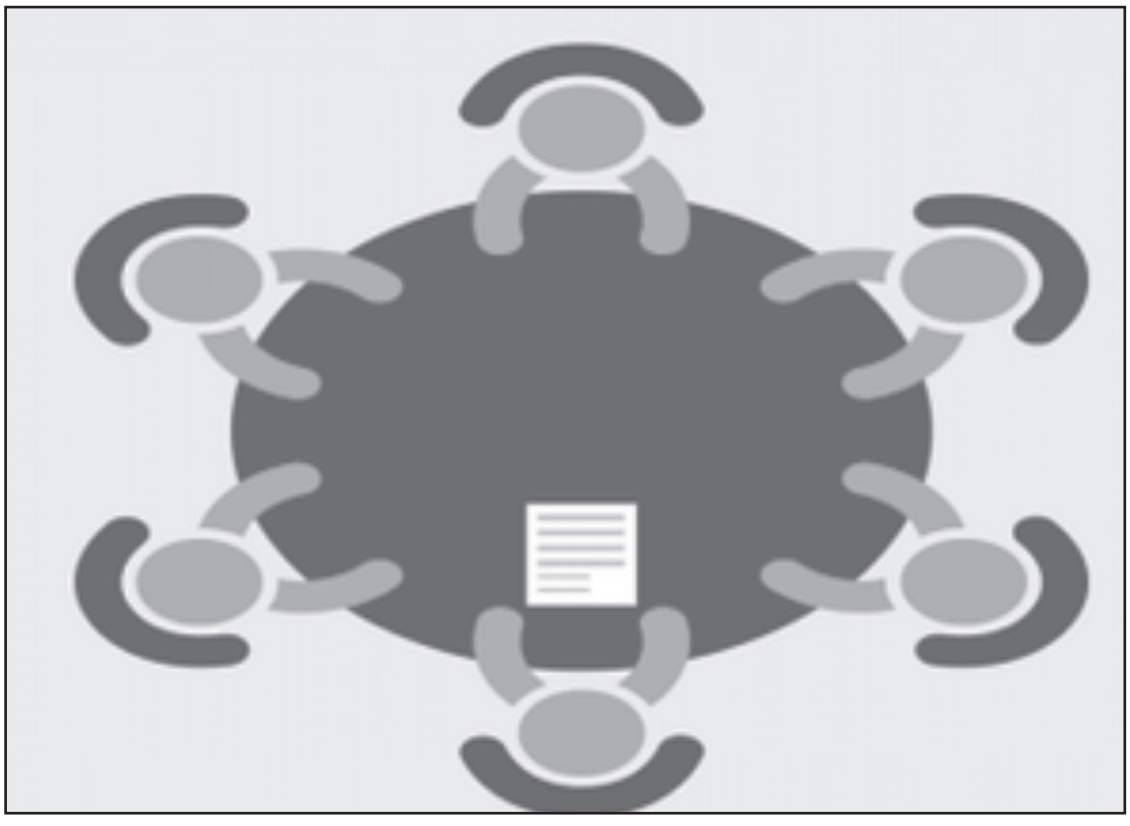

कैबिनेट का फैसला

- 8.54 लाख पंजीकृत समितियों के 27 करोड़ सदस्यों को मिलेगा सस्ता सामान
- पोर्टल पर सामान और सेवा की बिक्री करने वाले छोटे उद्यमियों को मिलेगा लाभ
- फिलहाल सरकारी एजेंसियां या विभाग ही कर सकते हैं इस पोर्टल से खरीदारी

पोर्टल को बढ़ानी होगी क्षमता

अभी जीईएम पोर्टल पर 40 लाख से अधिक विक्रेता हैं और इनमें से अधिकतर विक्रेता एमएसएमई हैं। सहकारी समितियों को खरीदारी के लिए पोर्टल को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। यह भी माना जा रहा है कि पोर्टल से खरीदारी के लिए सहकारी समितियों को कुछ शुल्क देना पड़े। हालांकि, इसका निर्धारण वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय आपस में मिलकर करेंगे। सहकारी समितियों को खरीदार बनाने के लिए जीईएम पोर्टल को सामान डिलिवरी से लेकर कई चीजों की नए सिरे से व्यवस्था करनी होगी। इसलिए शुरुआत में पायलट स्तर पर खरीदारी की शुरुआत की जा सकती है।

क्या है जीईएम पोर्टल

जीईएम पोर्टल एक सरकारी ई-कामर्स प्लेटफार्म है। जहां पर अब तक सिर्फ सरकारी एजेंसियां या विभाग ही खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि पोर्टल पर बिक्री का काम कोई भी निजी या सरकारी कंपनी कर सकती है। इसके लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है।

सरकार का लक्ष्य पशुधन क्षेत्र का विकास : श्री रुपाला

नई दिल्ली। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में 75 उद्यमियों के सम्मेलन और 75 स्वदेशी पशुधन नस्लों की प्रदर्शनी- उन्नत पशुधन सशक्त किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन और डॉ. संजीव कुमार बाल्यान इस कार्यक्रम में अतिथि थे। श्री रूपाला ने गोजातीय/बकरा/पक्षी/सुअर प्रजातियों की सर्वश्रेष्ठ 75 स्वदेशी नस्लों को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। डिजिटल प्रदर्शनी में 75 देशी पशुधन नस्लों और डेयरी तथा मुर्गीपालन किसानों, एफपीओ, नए उद्यमियों, स्टार्ट-अप और उद्योग की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर श्री अतुल चतुर्वेदी, सचिव, डीएएचडी और डॉ. ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव, डीएएचडी उपस्थित थे। कार्यक्रम में श्री मीनेश शाह, अध्यक्ष, एनडीडीबी, श्री संजय सिंघल, सीओओ, डेयरी एंड बेवरेजेज, आईटीसी लिमिटेड, श्री संग्राम चौधरी, एमडी, बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड और डेयरी क्षेत्र के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी हितधारकों के संयुक्त

योगदान के कारण भारत का डेयरी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पशु स्वास्थ्य और ऋण सेवाओं तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर पशुधन क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना है।

श्री रूपाला ने सम्मेलन में ए-हेल्प के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान 3 पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं – प्रो. मोती लाल मदान, डॉ. कुशल कुंवर सरमा और डॉ सोसम्मा आइपे को सम्मानित किया। इसके अलावा, श्री रूपाला ने सम्मेलन में पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2.0 के विजेताओं को भी सम्मानित किया। उन्नत पशुधन सशक्त किसान सम्मेलन में लगभग 75 स्वदेशी नस्लों और 75 उद्यमियों के बारे में कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में 4 किसानों के वीडियो दिखाए गए, जिन्होंने खेती और डेयरी क्षेत्र में अपनी नवीन तकनीकों के कारण राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान हासिल की है।

सम्मेलन में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने बताया कि कैसे भारत किसानों के घर तक गुणवत्तापूर्ण पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. बाल्यान ने विस्तार से बताया कि कैसे एनपीडीडी योजना पूरे भारत में डेयरी उत्पादन और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे की स्थापना को आगे बढ़ा रही है।

इस सम्मेलन में तीन तकनीकी विषयगत सत्रों जैसे उत्पादकता बढ़ाना और पशु स्वास्थ्य में सुधार, मूल्य संवर्धन और बाजार संबंध और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों तथा पारंपरिक कृषि ज्ञान के सम्मिश्रण से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। कतिपय राज्यों का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के प्रत्येक जिले की एक अपनी 'कृषि पहचान,' होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे विपणन को बढ़ावा और औद्योगिक-क्लस्टरों की तर्ज पर कृषि-क्लस्टर का विकास करने में मदद मिलेगी।

डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने प्रधानमंत्री के उदगारों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और उनके दृष्टिकोण को सराहा। उन्होंने प्रौद्योगिकी और लोक नीति के बीच सामंजस्य के महत्व पर जोर डाला। इस मौके पर केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह भी उपस्थित थे।

दुधारू पशुओं में दूध उत्पादकता बढ़ाने योग्य चारे एवं दाने

भारत का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये उत्पादक्ता के कारण नहीं बल्कि पशु संख्या अधिक होने के कारण है। यह वर्ष 2015-16 में 140 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। अन्य देशों कि अपेक्षाकृत यहाँ पर प्रति पशु दुग्ध उत्पादन बहुत कम है, इसके बावजूद दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 3.5-4.5 प्रतिशत के करीब है। इस उत्पादन के हिसाब से प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता वर्ष 2015-16 में 320 ग्राम पहुँच गई है लेकिन फिर भी अन्य देशों के अपेक्षाकृत कम है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए जो अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है, वो है दुधारू पशुओं का आहार। पशुओं को नियंत्रित रूप में सर्वोत्तम आहार एवं चारा खिलाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो स्वयं की उपलब्ध जमीन पर उगाया हुआ एवं सही समय पर काटा हुआ चारा दिया जाना चाहिए।

दूध देनेवाले पशुओं को कौन-कौन से चारे एवं दाने देने चाहिए और कौन से नहीं वो निम्नलिखित है:

दूध देने वाले पशुओं को खिलाने-योग्य चारे

1. लूसर्न और बरसीम - ये दोनों तरह के चारे स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी

है। इनमें प्रोटीन की मात्रा 15-20 प्रतिशत होती है।

2. दुब, हलीम और झरूआ आदि अन्य प्रकार की घासे अच्छी होती हैं। इनमें दूब सर्वश्रेष्ठ है। झरूआ भी एक अच्छी और दानेदार घास है।

3. जौ तथा जई की चरी - ये पौधे दुग्धवर्धक हैं। जौ का तो सूखा भूसा भी खिलाया जा सकता है, किंतु जई का भूसा कम अच्छा होता हैं।

4. ज्वार की चरी - यह चारों में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि इसे हरी, सूखीं या साइलेज-रूप में सभी तरह से खिलाते हैं। परन्तु हरी चरी ही उत्तम चारा माना जाता है।

5. मक्का- गर्मी के दिनों में साइलेज के अतिरिक्त यही। एक हरे चारा के रूप में उपलब्ध हो सकती है जिसे पानी व का प्रबंध करके चैत्र माह में बो दें और ज्येष्ठ से भाद्र पद तक ग्वार और लौबिया के पौधों के साथ मिलाकर खिलाये।

6. ग्वार और लोबिया - चैत से भादो माह तक इसे बोये और मक्के की चरी के साथ खिलाये।

7. सरसों की चरी- हरी नरम और सिंगरीदार सरसों को। दूसरे चारों के साथ मिलाकर खिलाने पर दूध की मात्रा में बढ़ोत्तरी होती हैं एवं गर्म-तासीर होती है।

8. मटर - नर्म फलियों के भर आने पर इसे खिलाये। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत होते हैं, एवं इसे जौ आदि के चारे या भूसे के साथ में मिलाकर ही खिलाना चाहिये।

9. चना और मसूर - चने के पौधे में क्षार की बहुत अधिकता होने के कारण इसे दूसरे चारों के साथ मिलाकर ही खिलाना चाहिये।

10. उरद तथा मूंग - इसे भादो से कार्तिक माह के बीच बोना चाहिए और नरम फल लग जाने के बाद अन्य चारों के साथ मिलाकर खिलाये। क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है जो की दूध की पौष्टिकता को बढ़ाता है।

दूध देने वाले पशुओं को खिलाने योग्य दाने

1. गेहूं का दलिया और चोकर बहुत ही उपयोगी हेता है।

2. खली: सरसों और लाही, तिल, मूंगफली, अलसी तथा बिनौले आदि को खिलाने से दूध की मात्रा एवं पौष्टिकता में वृद्धि होती है।

3. चने का दाना और चूनी मिली हुई भूसी, अरहर की चुनी भूसी, मूंग की चुनी भूसी, मसूर की चूनी भूसी इन सभी को मिलाकर खिलाना चाहिये क्योंकि इन सभी में प्रोटीन प्रधान तत्व अत्यधिक होते हैं और भूसी में फासफोरस का काफी अंश होता है जो दूध की उत्पादन, क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है।

4. जौ का दलिया खिलाना अत्यन्त लाभकारी माना जाता है।

5. गुड़ और शीरा थोड़ी मात्रा में खिलाना हितकर होता है।

6. पकाई हुई चीजें जैसे-दाल का पानी, चावल का माँड़, रोटी और थोड़ा-सा दलिया भी दिया जाना चाहिये।

7. कुछ मात्रा में ग्वार को दलकर और उबालकर या भिगोकर देना चाहिये।

गोबर की खाद का महत्व

खाद देने के उद्देश्य

1. संतुलित पोषक तत्व उपलब्ध करना-पौधों को अधिक से अधिक एवं संतुलित मात्रा में सभी आवश्यक तत्वों की उपलब्धि कराना।

2. फसलों से अधिक लाभ प्राप्त करना- भूमि में बार-बार फसलोत्पादन से मिट्टी व गमलों में उपस्थिति मिट्टी के पोषक तत्व, पौधों व फसलों के रूप में काट दिये जाते हैं।

अतः धीरे-धीरे गमलों व भूमि में अधिक उपज देने वाली फसलों की जातियाँ उगाने से मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश गमलों व मिट्टी में मिलाएं जाते हैं।

1. भौतिक दशा में सुधार- खाद मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार करके भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धि बढ़ाकर उसकी शक्ति में वृद्धि करती है।

गोबर खाद की रचना

रासायनिक रचना एवं संघटन

पशुओं के ताजे गोबर की रासायनिक रचना जानने के लिए, गोबर को ठोस व द्रव को दो भागो में बांटते हैं। बहार के दृष्टिकोण से ठोस भाग 75% तक पाया जाता है। सारा फास्फोरस ठोस भाग में ही होता है तथा नत्रजन व् पोटाश, ठोस द्रव भाग में आधे-आधे पाए जाते हैं।

गोबर खाद की रचना अस्थिर होती है। किन्तु इसमें आवश्यक तत्वों का मिश्रण निम्न प्रकार है।

गोबर की खाद में उपस्थित 50% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस व पोटेशियम पौधों को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त गोबर की खाद में सभी तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, मैंगनीज, तांबा व जस्ता आदि तत्व सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं।

गोबर की खाद का गमलों व भूमि पर लाभ दायक प्रभाव

मिट्टी में भौतिक सुधार

- मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है।
- मिट्टी में जलधारण व् जल सोखने की क्षमता बढ़ती है।
- मिट्टी में टाप का स्तर सुधरता है।
- पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है।
- मिट्टी के कण एक-दुसरे से चिपकते हैं। मिट्टी का कटाव कम होता है।
- भारी चिकनी मिट्टी तथा हल्की रेतीली मिट्टी की संरचना का सुधार होता है।

मिट्टी के रासायनिक गुणों का प्रभाव

- पौधों को पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं।
- मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है।
- मिट्टी की क्षार विनिमय क्षमता बढ़ जाती है।
- मिट्टी में पाये जाने वाले अनुपलब्ध पोषण तत्व, उपलब्ध पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है।
- पोटेशियम व फास्फोरस सुपाच्य सरल यौगिकों में आ जाते हैं।
- पौधों की कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैगनीज व सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है।
- कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से कार्बनडाई ऑक्साइड मिलती है। अनेक घुलनशील कार्बोनेट व बाईकार्बोनेट बनाती है।

मिट्टी के जैविक गुणों पर प्रभाव

- मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है।
- लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ती है।
- अनेक जीवाणु मिट्टी से पोषक तत्व लेकर पौधों को प्रदान करते हैं।
- जीवाणुओं द्वारा वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिक होता है।
- जीवाणु द्वारा वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिक होता है।
- जीवाणु जटिल नाइट्रोजन को अमोनिया नाईट्रेट आयन्स में बदलते है। नाइट्रोजन का यही रूप पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है।

गोबर खाद प्रयोग करने की विधि

गोबर की खाद को गमलों व खेत में किस विधि से डालें, यह कई बातों जैसे खाद की मात्रा, खाद की प्रकृति, मिट्टी की किस्म व फसल के प्रकार पर निर्भर करता है।

गोबर की खाद डालने का समय

गोबर की सड़ी हुई खाद को ही सदैव फसल बोने अथवा गमलों एवं पौधों को लगाने के लिए ही प्रयोग करें। फसलों में बुआई से पूर्व खेत की तैयारी के समय व गमलों को मिट्टी भरते समय अच्छी तरह मिट्टी में मिलाकर पौधे रोपने से एक सप्ताह पूर्व भरें।

भारी चिकनी मिट्टी में ताजा गोबर की खाद बुआई से काफी समय पूर्व प्रयोग करना अच्छा होता है क्योंकि विच्छेदित खाद से मिट्टी में वायु संचार बढ़ जाता है। जलधारण क्षमता भी सुधरती है। हल्की रेतीली मिट्टी एवं पर्वतीय मिट्टी में वर्षाकाल के समय में छोड़कर करें।

गोबर खाद की मात्रा

गोबर की खाद खेत में मोटी परत की अपेक्षा पतली डालना सदैव अच्छा रहता है। लंबे समय की फसल में समय-समय पर खाद की थोड़ी मात्रा देना, एक बार अधिक खाद देने की अपेक्षा अधिक लाभप्रद होता है। सभी फसलों में 20-25 टन प्रति हेक्टेयर एक-एक में 10 टन, गोबर की खाद खेत में दी जाती है। सब्जियों के खेत में 50-100 टन प्रति हेक्टेयर व गमलों में साईज व मिट्टी के अनुसार 200 से 600 ग्राम बड़े गमलों में 1 किग्रा, से 1.5 किग्रा. तक प्रति गमला साल में 2-3 बार डालें।

किसानों की आय बढ़ाएंगी धान की ये 5 सुगंधित किस्में जानें विशेषताएं और लाभ

फसल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों की ओर से नई-नई किस्में तैयार की जाती है ताकि अधिक उत्पादन होने के साथ ही किसानों को लाभ हो। इसी कड़ी में बीते दिनों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से भाभा अटामिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे-मुंबई के सहयोग से सुगंधित धान की नवीन म्यूटेन्ट किस्में विकसित की गई हैं। इन किस्मों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने किसानों को इन किस्मों के बीज वितरित किए हैं। साथ ही सरकार किसानों को इसके उत्पादन के लिए अपनी ओर से हर संभव मदद करेगी।

ये हैं धान की नई किस्में

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से भाभा अटामिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे-मुंबई के सहयोग से पांच म्यूटेंट सुगंधित धान की किस्मों का विकास किया गया है ये किस्में ट्राम्बे छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेन्ट-1, विक्रम टी.सी.आर, छत्तीसगढ़ जवांफूल म्यूटेन्ट, ट्राम्बे छत्तीसगढ़ विष्णुभोग म्यूटेन्ट, ट्राम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाठी हैं।

क्या है धान की इन किस्मों की विशेषताएं और लाभ

- धान की म्यूटेंट किस्मों के इस्तेमाल से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
- गुणवत्ता के मामले में ये म्यूटेंट की गई किस्में धान की अन्य किस्मों से बेहतर हैं।
- इसमें रोग और कीट के प्रकोप की संभावना कम पाई गई है हालांकि बुवाई से पूर्व बीजों को उपचारित किया जाना आवश्यक है।
- छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में धान की हजारों परंपरागत किस्में पाई जाती है जो अपनी सुगंध, औषधीय गुणों तथा अन्य विशिष्ट गुणों के लिए मशहूर हैं।
- सुगंधित धान की परंपरागत किस्मों की अवधि और ऊंचाई कम करने तथा उपज बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अब तक कितनी किस्मों को किया गया म्यूटेंट

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से धान की ऐसी 23 हजार 250 परंपरागत किस्मों के जनन द्रव्य का संग्रहण यानि म्यूटेंट किया गया है। बीज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में धान की हजारों परंपरागत किस्में पाई जाती है जो अपनी सुगंध, औषधीय गुणों तथा अन्य विशिष्ट गुणों के लिए मशहूर हैं।

इन किस्मों के भी तैयार किए हैं म्यूटेंट बीज

विश्वविद्यालय की ओर से परमाणु विकरण तकनीक का इस्तेमाल करके प्रदेश की परंपरागत किस्मों- दुबराज, सफरी-17, विष्णुभोग, जवांफूल और सोनागाठी की नवीन म्यूटेन्ट किस्में विकसित की जा चुकी हैं, जिनकी अवधि और ऊंचाई में उल्लेखनीय कमी तथा उपज में आशा के अनुरूप बढ़ोतरी देखी गई है। शीघ्र ही धान की अन्य परंपरागत किस्मों के म्यूटेन्ट विकसित कर किए जाएंगे। डॉ. चंदेल ने कहा कि अनुसंधान स्तर पर इन प्रजातियों के ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं और अब इनके लोकव्यापीकरण हेतु किसानों के खेतों पर उत्पादन किया जा रहा है। परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ की 300 परंपरागत किस्मों पर म्यूटेशन ब्रीडिंग का कार्य चल रहा है।

क्यों तैयार किए गए धान के म्यूटेंट बीज

धान की परंपरागत सुगंधित किस्मों की दीर्घ अवधि, अधिक ऊंचाई तथा कम उपज की वजह से धीरे-धीरे किसानों ने इनकी खेती करना कम कर दिया है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की ओर से भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के सहयोग से म्यूटेशन ब्रीडिंग द्वारा धान की सुगंधित किस्मों के म्यूटेंट बीज तैयार किए जा रहे हैं। इस बीजों को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य सुगंधित धान की परंपरागत किस्मों की अवधि और ऊंचाई कम करने तथा धान की पैदावार को बढ़ावा है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों से संचालित इस परियोजना के तहत उत्साहजनक परिणाम सामने आएं हैं।

एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) लाइसेंस की आवश्यकता एवं प्रक्रिया

खाद्य लाइसेंस

FSSAI फ़ूड लाइसेंस लाइसेंस उन सभी व्यवसायों के लिए आवश्यक है जहाँ भोजन बनाया या बेचा या संग्रहीत किया जाता है।

पंजीकरण (खाद्य लाइसेंस) क्या है ?

FSSAI - भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित एक मजबूत विनियमन है जिसके तहत FSSAI की स्थापना की गई है।

पंजीकरण की आवश्यकता

किसी भी खाद्य व्यवसाय को शुरू करने से पहले एक FSSAI लाइसेंस या FSSAI पंजीकरण आवश्यक है। खाद्य संबंधित सभी व्यवसायों के लिए FSSAI पंजीकरण आवश्यक है। व्यावसायिक परिसर में 14 अंकों का पंजीकरण/लाइसेंस नंबर पैकिंग मुद्रित या प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

लाइसेंस आवश्यकता वाले क्षेत्र

1. डेयरी उद्योग
2. खाद्य तेल उत्पादन
3. कसाईखाना मांस प्रसंस्करण इकाई
4. रिलैबलर एवं रिपैकर
5. प्रत्येक निर्माता या खाद्य उत्पादक व्यवसाय
6. भंडारण इकाई
7. थोक विक्रेता, विक्रेता, वितरक, आपूर्तिकर्ता
8. ढाबा, कैंटीन, क्लब/कैंटीन,
9. खाद्य खानपान,
10. होटल, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट
11. भोजन और दूध का परिवहन
12. विपणक
13. फेरीवाला
14. निर्यात और आयातक
15. ईकॉमर्स / ऑनलाइन खाद्य वितरणॉ
16. फास्ट फूड

पंजीकरण / लाइसेंस के प्रकार

1. FSSAI पंजीकरण

12 लाख रुपये से कम के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय

2. FSSAI राज्य लाइसेंस

• 12 लाख से ज्यादा और 20 करोड़ तक के सालाना टर्नओवर वाले बिजनेस को एफएसएसएआई स्टेट लाइसेंस की जरूरत होती है।

• उत्पादन इकाई की क्षमता प्रति दिन 2 टन तक, डेयरी इकाई प्रति दिन 50000 लीटर, 3 स्टार होटल और उससे ऊपर, रिपैकर और रीबेलिंग यूनिट, क्लब, सभी कैटरिंग व्यवसायों को टर्नओवर की परवाह किए बिना राज्य लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

3. FSSAI केंद्रीय लाइसेंस

• 20 करोड़ से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले बिजनेस को चाहिए fssai सेंट्रल लाइसेंस

• एफएसएसएआई निर्यातकों और आयातकों और ईकॉमर्स को केंद्रीय लाइसेंस

आवश्यक दस्तावेज

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र

1. आधार कार्ड/पैन कार्ड
2. पासपोर्ट साइज फोटो
3. पते का प्रमाण (लाइट बिल या रेंट एग्रीमेंट)

2. FSSAI State / Central लाइसेंस

1. आधार कार्ड/पैन कार्ड
2. पासपोर्ट साइज फोटो
3. पते का प्रमाण (लाइट बिल या रेंट एग्रीमेंट)
4. जल निरीक्षण रिपोर्ट (निर्माता और होटल रेस्तरां के लिए)
5. खाद्य वर्ग सूची, उपकरण सूची, इकाई का फोटो
6. ब्लू प्रिंट (केवल निर्माता प्रोसेसर के लिए
7. अन्य (व्यवसाय से)

लाइसेंस की वैधता

आप 1 से 5 साल के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर नवीनीकरण करवाना जरुरी है।

नवीनीकरण

• FSSAI खाद्य लाइसेंस के लिए देर से नवीनीकरण अधिक शुल्क से बचने के लिए आपको लाइसेंस की समाप्ति से 30 दिन पहले अपना FSSAI पंजीकरण नवीनीकृत करना होगा। समाप्ति तिथि से 30 दिन पहले नवीनीकरण करने में विफलता के परिणामस्वरूप समाप्ति तिथि तक प्रति दिन 100 का जुर्माना लगाया जाएगा।

• FSSAI पंजीकरण प्रमाणपत्र समाप्ति के बाद नवीनीकृत नहीं किया जा सकता |

• यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समाप्ति तिथि के बाद, खाद्य लाइसेंस के लिए एक नया आवेदन करना होगा।

लाइसेंस के लाभ

1. खाद्य व्यवसाय के कई कानूनी लाभ हो सकते हैं।
2. ग्राहक जागरूकता पैदा करना।
3. आप FSSAI लोगो ग्राहकों के बीच सद्भावना बना सकते हैं।
4. खाद्य सुरक्षा सुविधा।
5. अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार।
6. व्यापार विस्तार का एक बढ़िया अवसर।

लाइसेंस पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया

1. एफएसएसएआई पंजीकरण की शुरुआत खाद्य और सुरक्षा विभाग को फॉर्म ए (पंजीकरण के लिए आवेदन) या फॉर्म बी (राज्य और केंद्रीय लाइसेंस के लिए आवेदन) जमा करके या एफएसएसएआई पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके की जाती है।

2. आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। इसे आवेदन भरते समय एफएसएसएआई पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए।

3. इसे विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों (पंजीकरण और 60 दिनों (एफएसएसएआई राज्य या केंद्रीय लाइसेंस) के भीतर यह आवेदन स्वीकार किया जा सकता है या खारिज किया जा सकता है और अस्वीकृति को आवेदक को लिखित रूप में सूचित ।

4. यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो विभाग पंजीकरण संख्या और आवेदक के फोटो के साथ एक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

सहजन की खेती कैसे करे : सहजन की खेती से होगी लाखों रुपए की कमाई

सहजन एक बहु उपयोगी पेड़ है। सहजन को मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। इसे हिंदी में सहजना, सुजना, सेंजन और मुनगा आदि नामों से जाना जाता है। सहजन को अंग्रेजी में ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। इस पेड़ के सभी भाग फल, फूल, पत्तियों, बीजों में अनेक पोषक तत्व होते हैं। इसलिए इसका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। इसकी खेती करने से काफी लाभ प्राप्त होता है। यदि आप इसकी एक एकड़ में भी खेती करते हैं तो आपको 6 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। सहजन के उत्पादन की खास बात ये हैं कि इसे बंजर जमीन में भी उगाया जा सकता है। वहीं किसी अन्य फसल के साथ भी इसकी खेती की जा सकती है।

कैसा होता है सहजन का पौधा

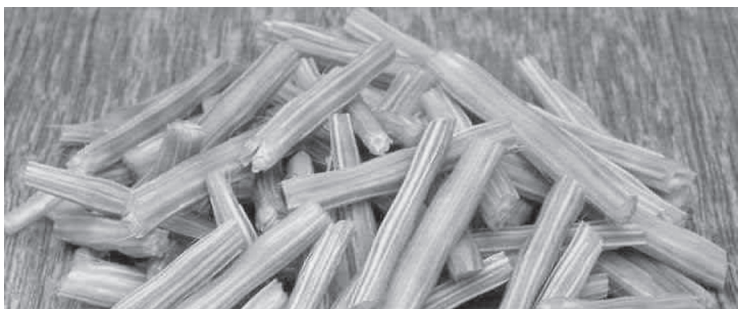

सामान्यत: सहजन का पौधा 4-6 मीटर ऊंचा होता है तथा 90-100 दिनों में इसमें फूल आता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160-170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधा से 65-170 दोनों में फल तैयार हो जाता है। सहजन पौधा करीब 10 मीटर उंचाई तक का हो सकता है। लेकिन लोग इसे डेढ़-दो मीटर की ऊंचाई से प्रतिवर्ष काट देते हैं ताकि इसके फल-फूल-पत्तियों तक हाथ सरलता से पहुंच सके। इसके कच्ची-हरी फलियां सर्वाधिक उपयोग में लाई जातीं हैं। सहजन के करीब सभी अंग (पत्ती, फूल, फल, बीज, डाली, छाल, जड़ें, बीज से प्राप्त तेल आदि) खाये जाते हैं।

सहजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व

सहजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रट, वसा, प्रोटीन, पानी, विटामिन, कैल्शियम, लोहतत्व, मैगनीशियम, मैगनीज, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। सहजन में 300 से अधिक रोगों के रोकथाम के गुण हैं। इसमें 90 तरह के मल्टीविटामिन्स, 45 तरह के एंटी आक्सीडेंट गुण, 35 तरह के दर्द निवारक गुण और 17 तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं।

सहजन के उपयोग

सहजन के लगभग सभी अंग (पत्ती, फूल, फल, बीज, डाली, छाल, जड़ें, बीज से प्राप्त तेल आदि) खाये जाते हैं। इसकी पत्तियों और फली की सब्जी बनती है।

कई जगहों पर इसके फूलों को पकाकर खाया जाता है और इनका स्वाद खुम्भी (मशरूम) जैसा बताया जाता है।

अनेक देशों में इसकी छाल, रस, पत्तियों, बीजों, तेल, और फूलों से पारंपरिक दवाएं बनाई जाती है।

दक्षिण भारतीय व्यंजनों में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। सहजन औषधीय गुणों से भरपूर होता है।

इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जिसका उपयोग औषधियों में भी किया जाता है।

सहजन उपयोग जल को स्वच्छ करने के लिए तथा हाथ की सफाई के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

सहजन की उन्नत किस्में

सहजन की उन्नत किस्मों में कोयम्बटूर 2, रोहित 1, पी.के.एम 1 और पी.के.एम 2 अच्छी मानी जाती हैं।

सहजन की खेती के लिए भूमि व जलवायु

सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। जैसे- बेकार, बंजर और कम उर्वरा भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। यह सूखी बलुई या चिकनी बलुई मिट्टी में अच्छी तरह

(शेष पृष्ठ 7 पर)

एरोबिक विधि से करें धान की खेती, कम पानी में मिलेगा अधिक उत्पादन

भारतीय कृषि में खरीफ की फसलों में धान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन धान की खेती में सबसे अधिक पानी की आवश्कता होती है। इस लिहाज से धान की खेती अब कई राज्यों के किसानों के लिए करना मुश्किल होता जा रहा है। जल का अंधाधुंध दोहन के फलस्वरूप आज भूजल स्तर गिरता जा रहा है। इसे देखते हुए कई राज्यों में किसानों को धान की खेती की जगह अन्य कम पानी वाली फसलों को बोने की सलाह दी जा रही है। यह सच है कि पृथ्वी पर पानी कम होता जा रहा है जिसका मूल कारण साल दर बारिश का कम होना है। वहीं हमारी जल को बर्बाद करने की प्रवृति भी इसके लिए जिम्मेदार है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं धान की खेती की। धान की खेती को अधिक पानी की आवश्यकता होती है लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो कम पानी में भी धान की खेती करना आसान हो सकता है।

धान की फसल : क्या है धान रोपाई की एरोबिक विधि

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और फिलिपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) ने संयुक्त रूप से धान की एरोबिक तकनीक ईजाद की है, इसे कुछ दौर की सिंचाई के जरिए ही उगाया जा सकता है। इस परियोजना में कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) की भी भागीदारी है। धान की खेती के लिए एरोबिक विधि में न तो खेत में पानी भरना पड़ता है और न ही रोपाई करनी पड़ती है। इस विधि से बुवाई करने के लिए बीज को एक लाइन में बोया जाता है। इस विधि से बुवाई करने में खेत भी तैयार नहीं करना होता है और पलेवा भी नहीं करना होता है। इसमें दूसरी विधियों के मुकाबले 40 से 50 प्रतिशत तक पानी की बचत हो जाती है। क्योंकि दूसरी विधि में पहले तो नर्सरी में ज्यादा पानी लगता है उसके बाद जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो रोपाई के समय भी पानी भरना पड़ता है, जबकि इस विधि में कम पानी लगता है।

एरोबिक विधि से धान की खेती का तरीका

धान की एरोबिक विधि में सामान्यत: गेहूं या मक्का जैसे ही इसकी बुवाई की जाती है। इसमें हम सामान्य रूप से धान की सूखी सीधे बोवनी करते हैं। सर्वप्रथम 2 या 3 जुताई कर खेत को समतल कर मिट्टी को भुरभुरा करते हैं इसके बाद खेत में हल्की नमी हो तब हम सीडड्रिल-फर्टिड्रिल के माध्यम से 2-3 सेमी की गहराई में बुवाई करते हैं यदि काली मिट्टी है तो बुवाई 1-2 सेमी की गहराई पर करते है कतार से कतार की दूरी 22 से 25 सेमी रखी जाती है।

बीज की मात्रा व बीजोपचार

अगर मई में बुवाई करते हैं तो 12 किलो प्रति एकड़ बीज लगता है और वहीं अगर जून-जुलाई में करते हैं तो बीज और कम 10 किलो के करीब ही लगता है। ज्यादा बीज बोने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। बीजों को बुवाई से पहले उपचारित कर लेना चाहिए। बीजों को पहले फफूंद नाशक दवा से उपचारित करना चाहिए उसके बाद जैविक कल्चर से उपचार करना चाहिए, उपचारित बीज को तुरंत बुवाई में प्रयोग करना चाहिए।

एरोबिक विधि से खेती करते समय किसान रखें इन बातों का ध्यान

एरोबिक विधि से खेती करने वाले किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों के बताए अनुसार इस विधि से धान की बुवाई करते समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वे इस प्रकार से हैं-

इस विधि से बुवाई के लिए सूखा बर्दाश्त करने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए।

इस विधि से बुवाई करने से पहले गर्मियों में गेहूं की कटाई के बाद जुताई कर देनी चाहिए, इससे बारिश का पानी खेत को अच्छी तरह से मिल जाता है। अगर धान की खेती की कर रहे हैं तो यह भी ध्यान दें कि आपके यहां बारिश कैसी हो रही है।

अगर 15 दिन तक बारिश नहीं होती है तो सिंचाई कर देनी चाहिए, जैसे कि गेहूं में सिंचाई करते हैं, उसी तरह से सिंचाई करनी चाहिए।

बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए जिस तरह से गेहूं के खेत में मेड़ बनाकर छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, इसी तरह से धान के खेत में भी छोटे-छोटे मेड़ बनाकर अलग-अलग हिस्सों में बांट देना चाहिए। इससे बारिश होती है तो पानी खेत में रहता है।

धान के साथ ही अनावश्यक पौधे उग जाते हैं इन्हें खरपतवार कहते हैं। इसे नष्ट करने के लिए खरपतवार नाशी का छिडक़ाव करते समय इस बात कर ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी हो।

खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के तुरंत बाद पेंडामिथालीन 1.25 लीटर को 200 लीटर पानी के साथ मिलकर प्रति एकड़ या बुवाई के 15 से 20 दिन बाद बेस्पिरिबैक सोडियम 100 मिली को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति एकड़ छिडक़ाव करें।

यदि धान के साथ अगर उड़द या मूंग की फसल भी बो देते हैं तो खरपतवार नहीं लगते हैं।

इस विधि से बुवाई के लिए हमेशा उन्नत किस्मों का चुनाव करें। अगर ऊंचाई पर खेत है तो जल्दी पकने वाली किस्मों का चुनाव करें अगर निचली खेत हैं जहां पर बारिश का पानी इक्ट्ठा होता है तो वहां पर मध्यम किस्में का ही चयन करें।

धान की बुवाई करते समय कोशिश करनी चाहिए कि सीडड्रिल या जीरो टिलेज मशीन से बुवाई करें, क्योंकि इसमें एक लाइन में बुवाई होती है, जिससे निराई करने में आसानी होती है। लेकिन अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो छिटकवा विधि से बुवाई कर सकते हैं।

जिस प्रकार हम आवश्यकता अनुसार गेहूं की सिंचाई करते है ठीक उसी प्रकार हमें धान की सिंचाई करते रहना चाहिए यदि किसान भाइयों के पास स्प्रिंकलर की उपलब्धता है तो सिंचाई स्प्रिंकलर के माध्यम से करें जिससे अधिक उपज प्राप्त होगी।

एरोबिक धान की फसल को 115 से 120 दिन के अंदर उत्पादन किया जा सकता है।

(पृष्ठ 6 का शेष)

सहजन की खेती कैसे करे : सहजन.....

बढ़ता है। इसका पौधा गर्म इलाकों में आसानी से फल फूल जाता है। इसको ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती। सर्द इलाकों में इसकी खेती बहुत कम की जाती है क्योंकि इसका पौधा अधिक सर्दी और पाला सहन नहीं कर पाता है। वहीं इसके फूल खिलने के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान की जरूरत होती है।

ऐसे तैयार करें सहजन की पौध

सहजन की एक हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 से 700 ग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त होती है। बीज को सीधे तैयार गड्ढ़ो में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढ़ों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौध एक महीना में लगाने योग्य तैयार हो जाता है। एक महीने के तैयार पौध को पहले से तैयार किए गए गड्ढ़ों में जून से लेकर सितंबर तक रोपण किया जा सकता है। पौधा जब लगभग 75 सेंमी का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग को तोड़ देना चाहिए , इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होती है।

सहजन के पौधे को रोपने का सही तरीका

सहजन के पौधे का रोपण गड्ढा बनाकर किया जाता है। खेत को अच्छी तरह खरपतवार मुक्त करने के बाद 2.5 X 2.5 मीटर की दूरी पर 45 X 45 X 45 सेंमी. आकार का गड्ढा बनाया जाना चाहिए। गड्ढे के उपरी मिट्टी के साथ 10 किलोग्राम सड़ा हुआ गोबर का खाद मिलाकर गड्ढे को भर देना चाहिए। इससे खेत पौध के रोपनी के लिए तैयार हो जाता है। बता दें कि सहजन में बीज और शाखा के टुकड़ों दोनों प्रकार से ही प्रबर्द्धन होता है। अच्छी फलन और साल में दो बार फलन के लिए बीज से प्रबर्द्धन करना जरूरी होता है।

सहजन की खेती में खाद और उर्वरक

रोपनी के तीन महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया + 100 ग्राम सुपर फास्फेट + 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालना चाहिए। वहीं इसके तीन महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का दुबारा डालना चाहिए। सहजन पर किए गए शोध से यह पाया गया कि मात्र 15 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति गड्ढा तथा एजोसपिरिलम और पी.एस.बी. (5 किलोग्राम/हेक्टेयर) के प्रयोग से जैविक सहजन की खेती में किया जा सकता है।

कब - कब करें सहजन की सिंचाई

सहजन के अच्छे उत्पादन के लिए समय-समय पर सिंचाई करना फायदेमंद रहता है। यदि गड्ढ़ों में बीज से प्रबर्द्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर दोनों ही अवस्था में फूल के झडऩे की समस्या होती है। इसलिए इसके पौधों की आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई ही की जानी चाहिए। इसके लिए ड्रिप या फव्वारा सिंचाई का इस्तेमाल किया जा सकता है।

सहजन में रोग और कीट प्रबंधन

सहजन में मुख्य रूप से भुआ पिल्लू नामक कीट का प्रकोप होता है। यह कीट पूरे पौधे की पत्तियों को खा जाता है तथा आसपास में भी फैल जाता है। इसके नियंत्रण डाइक्लोरोवास (नूभान) 0.5 मिली. एक लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिडक़ाव करना चाहिए।

इसके अलावा सहजन में फल मक्खी का आक्रमण भी इसमें देखा गया है। इससे भी फसल को भारी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवास (नूभान) 0.5 मिली. दवा एक लीटर पानी में घोलकर छिडक़ाव करना चाहिए।

फसल की कटाई और प्राप्त उपज

जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई की जा सकती है। पौधे लगाने के करीब 160-170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। एक बार लगाने के बाद से 4-5 वर्षों तक इससे फलन लिया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से एक मीटर छोडक़र काटना जरूरी होता है। दो बार फल देने वाले सहजन की किस्मों की तुड़ाई सामान्यत: फरवरी-मार्च और सितम्बर-अक्टूबर में होती है। प्रत्येक पौधे से लगभग 200-400 (40-50 किलोग्राम) सहजन सालभर में प्राप्त हो जाता है। सहजन के फल में रेशा आने से पहले ही तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इससे इसकी बाजार में मांग बनी रहती है और इससे लाभ भी ज्यादा मिलता है। बता दें कि पहले साल के बाद साल में दो बार उत्पादन होता है और आमतौर पर एक पेड़ 10 साल तक अच्छा उत्पादन करता है।

खेती-किसानी को संबल देगा केन्द्र सरकार का स्वागत योग्य निर्णय : मंत्री श्री पटेल

एमएसपी वृद्धि पर प्रधानमंत्री और केन्द्रीय कृषि मंत्री का किया आभार व्यक्त

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्र-संस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर का आभार मानते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि से खेती-किसानी को नया संबल मिलेगा।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्री-मण्डलीय समिति ने लिया है। समिति की मंजूरी से खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिये गये हैं, जिससे किसानों को वर्ष 2013-14 की तुलना में लागत मूल्य पर 50 से 85 प्रतिशत तक का मुनाफा होगा।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि समिति की मंजूरी के बाद अब मक्का 1962 रूपये, धान 2040 रूपये, ज्वार (हाइब्रिड) 2970 रूपये, ज्वार (मालदंडी) 2990 रूपये, सोयाबीन 4300 रूपये, मूंगफली 5850 रूपये, कपास (मध्यम रेशा) 6080 रूपये, कपास (लम्बा रेशा) 6380 रूपये, सूरजमुखी 6400 रूपये, तुअर और उड़द 6600 रूपये, रामतिल 7287 रूपये, मूंग 7755 रूपये और तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7830 रूपये प्रति क्विंटल होगा।

20 हजार से ज्यादा राशन दुकानों पर अब इंटरनेट सेवा भी मिलेगी

● सुविधा ● पीएम वाणी योजना के तहत हाईस्पीड वाईफाई बनेगी माध्यम

भोपाल। मध्य प्रदेश की 20 हजार से ज्यादा उचित मूल्य •की राशन दुकानों पर अब इंटरनेट केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना के माध्यम से प्रत्येक दुकान पर हाईस्पीड वाईफाई की सेवा उपलब्ध होगी। यहां कामन सर्विस सेंटर, एमपी आनलाइन के केंद्र खोले जाएंगे ताकि स्थानीय नागरिकों को इंटरनेट की सुविधा स्थानीय स्तर पर मिल जाए। इससे उचित मूल्य की दुकानों के संचालन में मदद मिलेगी साथ ही आर्थिक लाभ भी होगा। प्रदेश में अधिकांश दुकानों का संचालन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां करती हैं।

प्रदेश में 22 हजार से ज्यादा उचित मूल्य की राशन दुकानें हैं। इनमें से 16 हजार दुकानों का संचालन सहकारी समितियां करती हैं। समिति की आय में वृद्धि के लिए इन दुकानों को बहुद्देश्यीय दुकानों में परिवर्तित करने पर काफी समय से विचार चल रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अब इन दुकानों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए पीएम वाणी योजना के माध्यम से प्रत्येक दुकान में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। हाईस्पीड वाईफाई के संचालन की सीमा तीन सौ मीटर रहेगी। जो भी स्थानीय व्यक्ति इंटरनेट सेवा का लाभ लेना चाहेगा उसे वाउचर उपलब्ध कराए जाएंगे।

छोटे-मोटे कामों को लिए कहीं नहीं जाना होगा

विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि इंटरनेट सेवा का लाभ लेने के लिए उचित मूल्य के दुकानदार को पब्लिक डाटा आफिस बनाया जाएगा। इसका पंजीयन पीएम वाणी पोर्टल पर कराया जाएगा। इसके बाद दुकान पर राउटर स्थापित किया जाएगा। इसका लाभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ खाद-बीज के भंडार की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने में होगा। इसके साथ ही यहां एमपी आनलाइन. कामन सर्विस सेंटर भी स्थापित होंगे जिससे आमजन को छोटे-मोटे कामों को लिए कहीं नहीं जाना होगा। इंटरनेट सुविधा के लिए आवश्यकता अनुसार स्थानीय व्यक्ति वाउचर प्राप्त करके अपना काम कर सकेंगे। कलेक्टरों से कहा गया कि वे वाईफाई की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी उचित मूल्य दुकानदार को पब्लिक डाटा आफिस बनने के लिए प्रेरित करें। इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा क्योंकि वाउचर से प्राप्त राशि में हिस्सेदारी मिलेगी।

देश के किसानों की दशा और दिशा पर निर्भर करेगा प्राकृतिक खेती का भविष्य

आज देश में प्राकृतिक खेती एक विकल्प बनकर उभर रही है। केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर कृषि वैज्ञानिकों व किसानों द्वारा इस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिये गये हैं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में प्राकृतिक खेती के सुखद परिणाम देश के सामने होंगे।

डीसीए / पीजीडीसीए सत्र 2021-22 सम्पन्न

इंदौर। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से मान्यता प्राप्त डीसीए/ पीजीडीसीए सत्र जुलाई 2021-22 सम्पन्न हुआ।

सहकारिता के विश्वविद्यालय का खुलना सहकरिता के लिये एक सकारात्मक कदम

इंदौर। देश मे सहकारिता के विश्वविद्यालय का खुलना सहकरिता के लिये एक सकारात्मक कदम रहेगा। इसके द्वारा प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा को सहकारिता में रोजगार से जोड़ा जावेगा। कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी अल्पावधि पाठ्यक्रम चलाये जाने की योजना है।

वर्तमान में सहकारिता में नियुक्तियां बहुत कम निकल रही है। सहकारी संस्थाओं में आधे से ज्यादा पद रिक्त है। कर्मचारियों पर कार्य भार अधिक होने से उनकी प्रशिक्षण में रुचि कम है।

विश्वविद्यालय को सफलता तब ही मिलेगी जब खाली पदों को भविष्य में भरने की योजना भी बने।

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित,
भोपाल द्वारा संचालित
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध

शीघ्र आयें प्रवेश पायें

PGDCA
(योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण)
कुल फीस 9100/-

DCA
(योग्यता -10 +2 उत्तीर्ण)
कुल फीस 8100/-

संपर्क :-
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केंद्र
ई- 8/77 शाहपुरा ,त्रिलंगा ,भोपाल
फोन : 0755-2926160 , 2926159
मो. 8770988938 , 9826876158 Website-www.mpscu.in
Web Portal-www.mpscuonline.in
Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006
फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053
Email - ctcindore@rediffmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।